परीक्षा सम्बन्धी नियम

1. परीक्षा प्रवेश पात्रता :- (1) वे विद्यार्थी छात्र, जो किसी मान्यता प्राप्त राजकीय/अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हैं एवं जिन्होंने कम से कम 75 प्रतिशत कार्यदिवस एक सत्र में एक निर्धारित पाठ्य अति अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व वार्षिक परीक्षा में प्रवेश योग्य हैं एवं (2) ऐसे परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियम लागू होंगे।

2. उपस्थिति :- (1) कक्षा 9 से 12 की उपस्थिति गणना विद्यालय मान्य होने की तिथि अथवा प्रवेश की तिथि से की जाएगी। (2) वार्षिक पूरक परीक्षा में प्रवेश हेतु की उपस्थिति की गणना पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रथम दिन के अन्दर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि से की जाएगी। (4) 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है एवं (5) अपवादात्मक स्थिति में 60 प्रतिशत होने पर (चिकित्सा प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के आधार एवं कारण के आधार पर) अधिकतम 30 मीटिंग (15 दिन की उपस्थिति) का छाप देय होगा।

3. परीक्षा तैयारी अवकाश :- (1) अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक दिवस एवं वार्षिक परीक्षा हेतु विद्यार्थियों के लिए दो दिवस का अवकाश रहेगा एवं (2) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा, जिसमें से प्रथम सात दिवस तक विद्यालय में विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

4. उत्तीर्णता के नियम :- (1) सत्र माध्यमिक पाठ्य, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों को पिताका नियमानुसार दर्शाया किया जायेगा। (2) कक्षा 9 एवं 11 में सफलोन्नति के लिए प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किये हों, परन्तु वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में विद्यार्थी न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। (3) कक्षा 11 में जिन विषयों में प्रायोगिक होती हैं, उनमें अलग से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक देय नहीं है। (4) यदि अधिमान्य विद्यालय/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा/पूरक परीक्षा के परिणाम विद्यालय से घोषित होने पर यदि कोई पाठ्य/परीक्षा अवशेषित हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा परिणाम शेष परीक्षाओं के पूर्णांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा।

5. कम्पार्टमेन्ट प्रमाण-पत्र :- (1) कम्पार्टमेन्ट के कारण परीक्षा के दौरान एक सप्ताह तक की समयावधि में कम्पार्टमेन्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं (2) अन्तिम परीक्षा परिणाम वहाँ विद्यार्थियों का घोषित होगा, जिनमें कम से कम दो वार्षिक पाठ्य तथा वार्षिक अथवा एक वार्षिक पाठ्य, अर्द्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा दी हो।

6. कृपांक :- कक्षा 9 एवं 11 में एक ही विषय में असफल विद्यार्थी को उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकते हैं। दो विषय में असफल हैं तो प्रत्येक सम्बन्धित में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2 प्रतिशत कृपांक प्रत्येक विषय में देय हैं। विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के प्रतिशत में प्रति 5 अंक पर एक अंक का कृपांक प्रदान किया जा सकेगा। श्रेणी का निर्धारण विषयानुसार किया जायेगा। , 75 प्रतिशत एवं अधिक, विशेष श्रेणी , 60 प्रतिशत एवं अधिक, पर प्रथम श्रेणी , 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम, द्वितीय श्रेणी , 36 प्रतिशत एवं उससे अधिक, किन्तु 45 प्रतिशत से कम, तृतीय श्रेणी।

नोट :-(3) कृपांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे एवं (2) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने पर शेष परीक्षा के पूर्णांकों के आधार पर ही श्रेणी निर्धारण किया जाएगा।

7. पूरक परीक्षा के नियम:- (1) पूरक परीक्षा अधिकतम दो विषयों में दी जाती है। (2) कक्षा 9 व 11 में वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक के 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। (3) प्र -पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा। (4) नहीं विद्यार्थी पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, जिसने पूरक योग्य विषयों में 36 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। (5) पूरक परीक्षा में कृपांक देय नहीं होंगे एवं (6) पूरक परीक्षा हेतु शुल्क प्रति विषय 10 /- रुपये हैं।

8. पुनः परीक्षा :- (नियमित विद्यार्थियों हेतु) (1) वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी उत्तरोत्तर प्रमाण-पत्र देता है तो वह उस विषय/विषयों में पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा। (2) यह परीक्षा उन्हीं तिथियों में होगी, जिन तिथियों में पूरक परीक्षा आयोजित होगी। (3) पुनः परीक्षा के विषयों में कृपांक का अधिकारी नहीं होगा एवं (4) पुनः परीक्षा हेतु शुल्क 10/- रुपये हैं।

9. प्रगति पत्र :- परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् उसी दिन अथवा अधिकतम दो दिन की अवधि में प्रगति-पत्र देय है।

10. परीक्षाफल पुनरावलोकन :- परीक्षाफल पुनरावलोकन के लिए निर्धारित प्रार्थना-पत्र मय शुल्क परिणाम घोषित करने के सात दिन की अवधि में संस्था प्रधान के पास प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। पुनरावलोकन में विद्यार्थियों के बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाता है- (1) सभी प्रश्न जाँचे गए हैं या नहीं एवं (2) अंकों का योग सही है या नहीं। पुनरावलोकन शुल्क 10/- रुपये शुल्क होने पर लौटाने की व्यवस्था है।

प्रगति-पत्र

सत्र 2022 - 2023

छात्र रजिस्टर संख्या (S.R. No.) 4209

छात्र/छात्रा का नाम दिनेश मेघवाल

कक्षा व विभाग 9 B जन्म तिथि 10 सितम्बर 2001

पिता का नाम गोविन्द राम

माता का नाम अनोप देवी

संरक्षक का नाम

पिता/संरक्षक का पता

दूरभाष

उपस्थिति विवरण

	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	योग
कुल मीटिंग							
उपस्थित							
प्रतिशत							
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	योग
कुल मीटिंग							
उपस्थित							
प्रतिशत							

विद्यार्थी का नाम दिनेश मेघवाल कक्षा-9 वर्ग B नामाङ्क 3082

उपस्थिति विवरण		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च		कुल योग
	माह वर्ष														430
	कुल मिटिंग														312
	उपस्थिति														

परिणाम	
उत्तीर्ण	✓
अनुत्तीर्ण	-
पूरक	-

श्रेणी	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
	✓	-	-

प्रतिशत	61.66 %
कक्षा में स्थान	
विशेष योग्यता के विषय	- - -

कृपाङ्क	विषय	अङ्क
	-	
	-	
	-	

पूरक के विषय	
	-
	-
	-

विषय		सामयिक परीक्षा प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग	अर्द्धवार्षिक परीक्षा	योग अर्द्धवार्षिक तक	वार्षिक परीक्षा	विषय योग
पूर्णाङ्क		10	10	10	30	70	100	100	200
हिन्दी		06	10	10	26	31	57	73	130
अंग्रेजी		07	07	07	21	55	76	57	133
तृतीय भाषा		10	09	09	28	33	61	62	123
विज्ञान		09	08	09	26	27	53	42	95
सामाजिक विज्ञान		09	07	06	22	46	68	51	119
गणित		10	08	07	25	60	85	55	140
सर्व योग	पू.	60	60	60	180	420	600	600	1200
	प्रा.	51	45	48	148	252	400	340	740
राजस्थान अध्ययन	पू.	10	10	10	30	70	100	100	200
	प्रा.	10	10	10	30	63	93	57	150

		सै.	प्रा.	सै.	प्रा.	सै.	प्रा.	सै.	प्रा.	योग	सै.	प्रा.	योग	प्रा.	सै.	योग	सै.	प्रा.	योग	सै.	प्रा.	योग
शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	पू.	10	8	10	7	15	10	35	25	60	25	15	40	40	60	100	30	70	100	90	110	200
	प्रा.	10	8	10	7	15	10	35	25	60	25	15	40	40	60	100	30	29	59	90	69	159
फाउण्डेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	पू.	10		10		10		30			50	20	70	100			70	30	100	200		
	प्रा.	10		10		10		30			46	20	66	96			66	30	96	192		
समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	पू.	अनिवार्य प्रवृत्ति - 25				वैकल्पिक प्रवृत्ति - 45					शिविर - 30			विषय योग - 100						ग्रेड		
	प्रा.	24				45					30			99						A		
कला शिक्षा	पू.	सैद्धान्तिक - 25				प्रायोगिक - 30					प्रायोगिक - 30			प्रस्तुति कार्य - 15			विषय योग - 100			ग्रेड		
	प्रा.	23				30					30			15			98			A		

	प्रथम परख	द्वितीय परख	अर्द्धवार्षिक	तृतीय परख	वार्षिक
हस्ताक्षर कक्षाध्यापक					
हस्ताक्षर संस्था प्रधान					
हस्ताक्षर अभिभावक					

परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक 02.05.2023

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर परीक्षा प्रभारी

(सुमित राम गोदारा)
प्रधानाचार्य (H-1070378)
राजकीय शिक्षा निकेतन संस्था उ. मा. विद्यालय
जसरासर (नोखा) बीकानेर
मेमिस कोड-08030411701